

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-700/2024

राजेन्द्र कुमार इंदोलिया

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण नि.लि., अजमेर।
3. सहायक अभियंता, AEN, (O&M), मण्डावा, जिला झुन्झुनू।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.08.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री अभिषेक शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या-7592/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 पारित किया गया है, जिसमें अजमेर विद्युत वितरण नि.लि. के कर्मचारियों के सेवा विवाद का क्षेत्राधिकार इस अधिकरण को होना नहीं माना गया है।
2. अतः यह अपील इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज की जाती है। अपीलार्थी को छूट दी जाती है कि वह सक्षम न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)